CANCELLED CANCELLED CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES

225

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4212

रामराजा सिंह तनय स्व.धर्मपालसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम डूडा हाल निवासी ग्राम रौरईया
दरवाजा टीकमगढ तह.व जिला टीकमगढ म.प्र.
.........निगरानीकर्ता

B.O.R.
26 SEP 2017

बनाम

1.नत्थू सिंह तनय सूरत सिंह ठाकुर
2.जगतराज तनय सूरत सिंह ठाकुर
दोनो निवासी ग्राम हैदरपुर तह.व जिला टीकमगढ
म.प्र.
.........प्रतिनिगराकार

श्री राजेश सेन, अधिवक्ता सागर द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय ... सागर (म.प्र.)

निगरानी प्रतिकूल आदेश न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 73/निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक 31.10.2003 से व्यथित होकर :-

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

महोदय,

निगराकार सादर निम्नप्रकार विनयी है :-

195
23/10/17

(1) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ग्राम हैदरपुर का निवासी है तथा हाल में बच्चो के पढाई कराने हेतु टीकमगढ में निवास कर रहा है ।

(2) यह कि निगरानीकर्ता अपने बाप दादाओ के जमाने से ग्राम हैदरपुर में निवास करता चला आ रहा था तथा उसके पितामह कथित भूमि पर 100 वर्षो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/टीकमगढ़/भू0रा0/2017/4212

रामराजा सिंह विरूद्ध नत्थू सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 73/निगरानी/1999—00 में पारित आदेश दिनांक 31—10—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 8/3/19 सदस्य	